International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.42
IJSSER 2025; 7(2): 668-671
www.socialsciencejournals.net
Received: 05-10-2025
Accepted: 23-10-2025

डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम
एसोसिएट प्रोफे0, शिक्षक शिक्षा विभाग, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम
एसोसिएट प्रोफे0, शिक्षक शिक्षा विभाग, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

पारिवारिक हिंसा से उत्पीड़ित पुरूषों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन

डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2h.421

सारांश
पारिवारिक हिंसा एक वैश्विक समस्या है, अभी तक यह हिंसा महिला केन्द्रित थी उसमें महिला को पीड़ित व पुरूष को उत्पीड़न करने वाला समझा जाता था परन्तु 21वीं शताब्दी में पारिवारिक हिंसा के शिकार पुरूष भी हो रहे है लेकिन समाज पीड़ित पुरूष को अनदेखा कर रहा है उसका मानना है कि पारिवारिक हिंसा पुरूष के साथ नहीं हो सकती है क्योंकि भारतीय समाज पुरूष प्रधान है। जबकि एक अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 52..4% पुरूषों ने लिंग आधारित हिंसा का अनुभव किया। 1000 में से, 51.5% पुरूषों ने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपनी पत्नियों/अतरंग साथी के हाथों हिंसा का अनुभव किया। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य पारिवारिक हिंसा के पीड़ित पुरूषों की स्थिति तथा इसके प्रभावों का अध्ययन करना।

कूटशब्द : पारिवारिक हिंसा, पीड़ित पुरूष, लिंग आधारित हिंसा,घरेलू हिंसा का प्रभाव

प्रस्तावना
पारिवारिक हिंसा एक सार्वभौमिक घटना है कोई भी काल, स्थान व पारिस्थितियाँ रही हों, प्रत्येक समाज व राष्ट्र में यह हिंसा व्याप्त है यह हिंसा का वीभत्स रूप है। यह हिंसा सभी आयु, मूल, वंश, जाति और धर्म के लोगों के साथ होती है। यह विपरीत लिंग और समान लिंग दोनों के साथ हो सकती है। यह सत्य है कि पारिवारिक हिंसा से पीड़ितों में से अधिकांशतः महिलायें होती है, परन्तु वर्तमान समय में इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता है कि पुरूष भी इस हिंसा से पीड़ित है। जॉन डेप और अम्बर हार्ड का केस हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि वैश्विक स्तर पर पुरूषों के साथ पारिवारिक हिंसा हो रही है। इस हिंसा के पीड़ित चाहे पुरूष हो या महिला दोनों की स्थिति में यह अनैतिक कृत्य है। प्रत्येक समाज के लिए यह चिन्ता व अध्ययन का विषय है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि यह समस्या दिनों दिन वीभत्स रूप लेती जा रही है।
पारिवारिक हिंसा सामान्यतः परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया ऐसा कार्य या व्यवहार होता है जिससे पीड़ित पक्ष को कोई कष्ट पहुँचता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्यों और व्यवहारों से परेशानी अनुभव करता है और जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसे हम उत्पीड़न के अर्थ में समझते है।
पुरूषों के खिलाफ पारिवारिक हिंसा घर के अन्दर पुरूषों के प्रति किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार है। जो उसके विवाह के पश्चात् पत्नी या साथी द्वारा किया जाता है। हमारे समाज में अनेकों ऐसे पुरूष है जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है। परन्तु वह चाहकर भी इस उत्पीड़न की शिकायत कहीं नहीं कर पाता है क्योंकि समाज में उसके विरूद्ध हिंसा को पत्नी / साथी द्वारा हिंसा को कम तरजीह दी जाती है। जब कोई पुरूष घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो कानून पुरूष की रिपोर्ट दर्ज करने में रूचि प्रकट नहीं करते है। क्योंकि कानून यह पूर्ण रूप से मानने को तैयार नहीं है कि पुरूष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। (श्रीवास्तव और पाठक 2004)

पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसा के प्रकार :–
पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, यौनिक, मौखिक और तकनीकी दुर्व्यवहारों आदि को सम्मिलित किया जाता है–

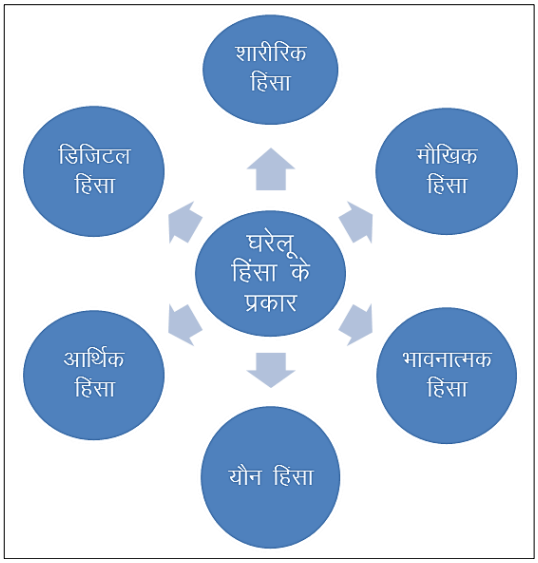

1. शारीरिक हिंसाः घरेलू हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक हिंसा में साथी को चोट पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, थप्पड़ मारना, चोट पहुँचाने के इरादे से हथियार से मारना आदि शामिल है, एन0एफ0एच0एस0–5 के अनुसार 6 प्रतिशत पुरूषों को अपने जीवन साथी से शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। विश्व में पति को पीटने में भारतीय पत्नियाँ तीसरे नम्बर पर है। इसमें इजिप्ट प्रथम तथा ब्रिटेन द्वितीय स्थान पर है। (यू0एन0 सर्वे)

2. मौखिक हिंसा : इसके अन्तर्गत पुरूष को पत्नी या साथी द्वारा ताने मारना, अपमानजनक टिप्पणी करना, अपमान करना आदि कई तरह के दुर्व्यवहार किए जाते है। जब अधिकांशतः पति अपनी पत्नी की अपेक्षओं को पूरा करने में विफल हो जाते है तो उनको मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जिससे पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

3. भावनात्मक दुर्व्यवहारः भावनात्मक दुर्व्यवहार पारिवारिक हिंसा का एक रूप है जिसमें दुर्व्यवहार करने वाला अपने साथी को भावनात्मक रूप से नियन्त्रित तथा ब्लैकमेलिंग करता है। इससे पीड़ित की सोच व व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही वह भावनात्मक मानसिकता का शिकार बन जाता है। हरियाणा के एक ग्रामीण क्षेत्र में किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि 51.6 प्रतिशत पुरूषों के भावनात्मक दुर्व्यवहार को अनुभव किया।

4. यौन हिंसाः यौन हिंसा, यौन गतिविधि पर नियन्त्रण की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यौन हिंसा के अन्तर्गत जबरन यौन सम्बन्ध, अवांछित यौन गतिविधियाँ, कुछ महिलाओं द्वारा पुरूषों के साथ जबरन किया गया यौन सम्बन्ध शामिल है। गोरखपुर में एक लड़की 16 साल के लड़के को फुसलाकर होटल में ले गयी वहाँ लड़के से अपने सम्बन्ध बनाये। इसके बाद रेप में फंसाने की धमकी देकर लड़के के पिता से 12 लाख रूपये की डिमाण्ड की। मामले में केस दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। (हिन्दुस्तान, 15 सितम्बर 2025)।

5. आर्थिक शोषण : आमतौर पर इस हिंसा का सामना पुरूषों को उन परिवारों से करना पड़ता है जहाँ पुरूषों की आय कम या सीमित होती है या पुरूषों की निर्भरता महिलाओं पर होती है। पुरूषों का महिलाओं पर पैसे/रूपये के मामले में निर्भर होने के कारण कई पुरूषों को शोषण का सामना करना पडता है जो बहुत ज्यादा मानसिक और भावनात्मक
शोषण में बदल सकता है। ऐसे रिश्तों को छोड़ने का विचार अक्सर चिंता और रिलेशन की भावनाएँ पैदा करता है। (कुमार 2012)

6. डिजिटल हिंसा : तकनीकी युग में घरेलू हिंसा का एक नया तरीका 'डिजिटल हिंसा' का भी प्रयोग किया जाना लगा है। इसके अनतर्गत महिला पुरूष की इज्जत खराब करने के लिए सोशल मीडिया के अलग–अलग प्लेटफार्म का प्रयोग करती है। यह देखा गया है कि पत्नियाँ पति और पति के परिवार द्वारा उन पर की गयी हिंसा की गलत सूचनाऐं सोशल मीडिया पर साझा करती है और समाज में सहानुभूति बटोरती है। पुरूष को कटघरे में खड़ा करती है। च्ॅ के 2014 के आंकड़ों के अनुसार 18–24 साल की उम्र की 25% महिलायें और 13% पुरूषों ने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सैक्सुअल हैरेसमेन्ट का अनुभव किया है।

धारा 498–। का दुरुपयोग : वर्तमान समय में पुरूषों के साथ घरेलू हिंसा के मामलों के तीव्रतम वृद्धि हो रही है जो पुरूष परिवार में महिला की मनमानी इस का विरोध करते है तो उनको घरेलू हिंसा तथा दहेज के झूठे आरोपों में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है।
पुरूषों को किसी जाँच या पड़ताल के बिना धारा 498–ए के तहत केवल आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है ऐसे लाखों लोग गिरफ्तार किये जा चुके है जिनका विवरण निम्न है–

भारतीय दण्ड संहिा की धारा 498–ए के अन्तर्गत पंजीकृत मामले और गिरफ्तारियाँ

वर्ष	पंजीकृत मामले	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल संख्या
2015	113403	149360	34972	184332
2016	110378	160037	38317	198851
2017	109796	140296	34016	174312
2018	103272	129660	30830	160490
2019	124934	136081	32835	168916
2020	111549	96497	23809	120306
2021	127871	122668	28361	151029
2022	140019	133767	30536	164303

स्रोत–रिपोर्ट, क्राइम इन इण्डिया, एन0सी0आर0बी0,गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त आंकड़ों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता हैं क धारा 498–ए के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पंजीकृत मामलों में वृद्धि हो रही है और इसके अन्तर्गत पुरूषों की सबसे अधिक गिरफ्तारियाँ क्रमशः वर्ष 2016, 2017, 2019 व 2022 में अधिक हुई थी। इनमें हजारों पुरूषों को फर्जी व गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था जो धारा 498–ए का गलत दुरुपयोग को दर्शाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आई0पी0सी0 की धारा 498–ए के दुरुपयोग पर चिन्ता जताई है। न्यायालय ने अर्चना गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य (2015) के मामले में माना है कि धारा 498–ए को यत्रवत लागू नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पत्नी के परिवार द्वारा अक्सर छोटे मोटे वैवाहिक मुद्दों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है जिसके कारण पति को परेशान करने के लिये पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है।
दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य (2024) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ''बिना ठोस सबूत के केवल परिवार के सदस्यों का नाम लेना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।'' न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पति और इसके परिवार को परेशान करने के लिए धारा 498–ए के ऐसे दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

पारिवारिक हिंसा के कारण आत्महत्या

विश्व में सबसे ज्यादा आत्महत्याऐं भारत में होती है। विश्व की एक चौथाई आत्महत्यायें भारतीय पुरूष करते है जबकि भारतीय

महिलायें (15–39 वर्ष) की हिस्सेदारी 36% प्रतिशत है। हर 25 मिनट में एक आत्महत्या होती है मेन्टल हेल्थ विशेषज्ञ का कहना है कि पारिवारिक हिंसा इसका मुख्य कारण है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश भर में 1.64 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी। इसमें 81 हजार विवाहित पुरूष और 28 हजार विवाहित महिलायें थी। 33.2 प्रतिशत पुरूषों ने आत्महत्याऐं पारिवारिक समस्याओं के कारण की और 3.2 प्रतिशत पुरूषों ने वैवाहिक समस्याओं के कारण आत्महत्या की। यदि हम 2022 के आकड़ों पर दृष्टि डाले तो कुल 1.71 लाख आत्महत्याओं में 21.7 प्रतिशत आत्महत्यायें पारिवारिक मनमुटाव के कारण रही है। यदि हम 2012 से 2022 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो देखते है कि 2012 में जहाँ 88553 पुरूषों ने आर 46992 महिलाओं ने आत्महत्याऐं की थी जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 171000 हो गयी, जिसमें 122724 पुरूष और 48172 महिलायें थीं। कहने का आशय है कि पारिवारिक समस्याओं के कारण पुरूषों का शोषण हो रहा है और वह लोकलाज के भय से आत्महत्याऐं करने पर मजबूर हो रहे है।

पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसा की समस्या भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तरीय समस्याओं में से एक है। अभी तक भारत में ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है कि जिससे पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसा के आंकड़ों की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में अवश्य कार्य कर रहे है। 'सेव इण्डियन फेमिली फाउण्डेशन' और 'माई नेशन' नाम की गैर सरकारी संस्थानों के एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि भारत में 90% से अधिक पति तीन साल के गृहस्थ जीवन में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना करते है। इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि पुरूषों ने जब इस तरह की शिकायतें पुलिस में या किसी अन्य प्लेटफार्म पर करनी चाही तो लोगों ने विश्वास नहीं किया और शिकायत करने वाले पुरूष को हंसी का पात्र बना दिया गया। (कुमारी और तिवारी)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 49 साल की उम्र की 10 प्रतिशत महिलायें कभी न कभी अपने पति पर हाथ उठाती है वो भी तब जब उनके पति ने कोई हिंसा न की। पुरूष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते है। इसी संदर्भ में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों के विरूद्ध लिंग आधारित हिंसा पर अध्ययन किया गया था। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 21 से 49 के एक हजार विवाहित पुरूषों में से 52.4 प्रतिशत जेंडर आधारित हिंसा का अनुभव किया।

विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरूष भी होते है परन्तु घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को तो सुरक्षा प्रदान करते है परन्तु पुरूष को नहीं। यह पुरूषों के साथ दोहरा मापदण्ड क्यों? क्या विधि निर्माता इस धारणा को मान चुके है कि पुरूष हिंसा का शिकार नहीं होता है? क्या यह संभव है? विश्व में 40% से अधिक पुरूष घरेलू हिंसा से पीड़ित है। ब्रिटेन के आफिस फॉर नेशनल स्टेटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में हर तीन में एक पारिवारिक हिंसा का शिकार पुरूष है। दुनिया का सुपरपावर माना जाने वाला अमेरिका में यह मामले कम नहीं है यहाँ पर 44% पुरूष अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा के शिकार हुये है। दुनिया में खुशहाल माने जाना वाला देश फिनलैण्ड भी इस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ 31 प्रतिशत पुरूष पारिवारिक हिंसा से पीड़ित है। 2023 में भूटान में पारिवारिक हिंसा के 778 मामले पंजीकृत हुये जिसमें 69 पुरूष इस हिंसा से पीड़ित थे।

पुरूष पीड़ितों पर घरेलू हिंसा का प्रभाव

घरेलू हिंसा का प्रभाव व्यापक है और यह उत्पीड़ित पुरूष के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते है–

1. शारीरिक प्रभाव : पुरूषों को घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पीटना, धक्का देना, गला दबाना या किसी वस्तु से मारना आदि का सामना करना पड़ता है। कभी कभी स्थायी चोटें गम्भीर समस्याओं का रूप ले लेती है जो उनके शरीर के लिये घातक होती है।

2. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव : परिवार में हिंसा होने के कारण उत्पीड़ित पुरूष अक्सर चिंता, अवसाद, नीद की समस्या और पोस्ट–ट्रॉमेट्रिक स्ट्रेस डिसआर्डर (च्ज्ैक्) जैसी मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो जाते है और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या भी कर लेते है। पुरूष के प्रति पत्नी का तिरस्कार पूर्ण व्यवहार और अकेलापन उसे समाज और परिवार से अलग–थलग कर देता है। जिससे पुरूष मानसिक रोगी हो जाता है।

3. आर्थिक प्रभाव : घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण भी शामिल हो सकता है जहाँ पार्टनर पैसों पर नियन्त्रण रखता है और जबरन वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराता है। घरेलू हिंसा का नकारात्मक प्रभाव उनके कैरियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

4. सामाजिक और कानूनी प्रभाव : समाज में यह धारणा बन चुकी है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ में होती है, पुरूषों के साथ नहीं। जब यह हिंसा पुरूषों के साथ में होती है तो वह इसकी शिकायत कहीं नहीं कर पाता है कि उसके साथ में हिंसा हुआ है क्योंकि सामज में पुरूष सदैव श्रेष्ठ माना गया है और वह समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। उसे महिलाओं की तरह कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसे न्याय पाने के लिये कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

5. परिवार पर प्रभाव : घरेलू हिंसा का प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है। परिवार में खास तौर से बच्चों पर पड़ता है। बच्चे हिंसक व्यवहार सीखते है और पारिवारिक झगड़े के कारण तनाव व चिंता में रहने लगते है। जिससे उनकी सीखने की क्षमता में कमी आती है। कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते है जो परिवार और समाज के लिये घातक होता है।

निष्कर्ष

पारिवारिक हिंसा से उत्पीड़ित पुरूष का मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जबकि पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत सारा ध्यान महिला पीड़ितों पर है और उनकी सुरक्षा के लिये विभिन्न कानून बनाये गये है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें पुरूषों की पीड़ा को भी समझना चाहिए। समाज में पुरूषों के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है क्योंकि भारतीय समाज में यह धारणा है कि पुरूष परिवार का मुखिया तथा प्रधान होता है और परिवार में महिला की स्थिति दोयम दर्जे की है इसलिये पुरूष के साथ यह हिंसा नहीं हो सकती है। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है कि पुरूष भी इस हिंसा के शिकार हो रहे है और आत्महत्यायें भी कर रहे है। जहाँ पारिवारिक हिंसा से उत्पीड़ित महिलाओं के लिये कानून बनाये गये है वहाँ पुरूषों की सुरक्षा के लिये कानून नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनी ढाँचे में सुधार किया जाये ताकि पारिवारिक हिंसा से पीड़ित पुरूषों को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। जिससे पुरूष निडर होकर अपनी समस्याओं को उजागर कर सके और उसे समाज व कानून का भी समर्थन प्राप्त हो। वह समाज में हंसी का पात्र न बने। घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरूषों के लिये विशेष कानून बनाये जायें और विधिक सेवा सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाये। पारिवारिक हिंसा किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। पुरूष हो या महिला। समाज को चाहिये कि वह पीड़ितों के मुद्दों को गंभीरता से ले, विशेषकर पुरूष पीड़ितों के मुद्दों को। जिससे इनको समय पर सहायता प्रदान की जा सके और परिवार को टूटने से बचाया जा सके।

संदर्भ

1. Singh A. Girl lured a 16-year-old boy to a hotel, had sex with him, then demanded ₹12 lakh from his father. Hindustan (Uttar Pradesh Hindi News). 2025 Sep 15;7:28 AM.
2. Fathima A, Kava S. The reasons for male suicides in India: what the numbers tell us. The News Minute. 2024 Dec 24;1:18 PM. Available from: https://www.thenewsminute.com/news/the-reasons-for-male-suicides-in-india-what-the-numbers-tell-us
3. Barber CF. Domestic violence against men. Nurs Stand. 2008;22(51):35-39. https://doi.org/10.7748/ns2008.08.22.51.35.c6644
4. Dainik Bhaskar. Punjab Jalandhar rape case; four girls gang raped a man in a car. Dainik Bhaskar. Available from: https://www.bhaskar.com/women/news/raised-on-the-pretext-of-asking-the-address-no-more-rape-than-male-third-gender-demand-for-gender-neutral-law-130658428.html
5. Gateri AM, Ondicho TG, Karimi E. Correlates of domestic violence against men: qualitative insights from Kenya. Afr J Gend Soc Dev. 2021;10(3):87-111. https://doi.org/10.31920/2634-3622/2021/v10n3a5
6. Hines DA, Douglas EM. Health problems of partner violence victims: comparing help-seeking men to a population-based sample. Am J Prev Med. 2015;48(2):136-144. https://doi.org/10.1016/j.ame-pre.2014.08.022
7. Kaur S, Gulati S. Domestic violence against men in India: a critical analysis with special reference to Indian laws. South India J Soc Sci. 2024 Mar;22(1):1-231. https://doi.org/10.62656/SIJSS.v22i1.1-231
8. Kumar A. Domestic violence against men in India: a perspective. J Hum Behav Soc Environ. 2012;22(3):290-296. https://doi.org/10.1080/10911359.2012.655988
9. Kumar L, Tiwari V. Social perspectives of male victims of domestic violence: an in-depth analysis. Int J Creat Res Thoughts. 2024;12(7):1805-1808.
10. Chauhan L, Deol P. Domestic violence against men in India. Samdarshi. 2023;16(4):2909-2913. https://doi.org/10.5281/zenodo.7641965
11. Greeshma M. Uncovering the taboo: domestic violence against men in India. Jus Scriptum Law. 2024 May 17. analysis-on-domestic-violence-against-men-in-india
12. Nandni G. Domestic violence against men by women in Punjab: an empirical study. Educ Adm Theory Pract. 2024;30(1):1199-1213. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i1.6075
13. Ministry of Home Affairs, Government of India. Report on National Crime Record Bureau 2015-2023. New Delhi: MHA; 2023.
14. Tshoane S, *et al*. Domestic violence against men: unmuting the reality of the forgotten gender. Cogent Soc Sci. 2024;10(1):2304990. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2304990
15. Srivastava S, Pathak A. Male domestic violence: a sociological study. J Humanit Dev. 2024;19(1):12-16.